न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 18/2019 (RCMS No. 2019/00031)

प्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सायरीदेवी पत्नी मांगीलाल जाट
2. रामकिशोर पुत्र मांगीलाल जाट
3. मदनलाल पुत्र मांगीलाल जाट निवासीगण जायल तहसील जायल जिला नागौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908

उपस्थित – श्री तहसीलदार कुचामनसिटी प्रार्थी
श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 10.02.2020

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि इसी उनवान का एक वाद बहुत ही मजबूत बिनाय पर आधारित अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भांवना है, ग्राम सरगोठ में अवस्थित वर्तमान खसरा नम्बर 1074 रकबा 1.31 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि अवस्थित है, चालू भू–राजस्व अधिकार अभिलेख सम्वत 2075 में उक्त भूमि की किस्म कृषि बारानी द्वितीय है जिसका अप्रार्थीगण 1/3 – 1/3 के खातेदार है, उपर्युक्त भूमि की वर्तमान किस्म बारानी द्वितीय में अप्रार्थीगण द्वारा उपर्युक्त आराजी में से 1.00 हैक्टर कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये बिना सीमेन्ट ब्लॉक फैक्ट्री हेतु औद्योगिक कार्य के लिए क्रेशर मशीन एवं डामर प्लांट के माध्यम से कृषि भूमि का दुरूपयोग कर कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यो के लिए उपयोग में ले रहा है इस वजह से भूमि की उर्वरकता नष्ट हो रही है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1074 रकबा 1.31 हैक्टर की बारानी द्वितीय की भूमि कृषि प्रयोजन से अन्यत्र क्रेशर मशीन एवं डामर प्लांट निर्माण कर औद्योगिक एवं व्यवसायिक कार्यो हेतु उपयोग में लेकर उक्त कृषि भूमि की उर्वरक क्षमता को भारी नुकसान कारित किया है, अप्रार्थीगण का यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का स्पष्टतया उल्लंघन है, उपर्युक्त अप्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:16:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उक्त खसरा में से 1.00 हैक्टर कृषि भूमि हानिप्रद गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के कारण अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उसके खातेदारी की कृषि भूमि को सिवाय चक राजकीय भूमि घोषित किये जाने योग्य होने के कारण रिसीवर नियुक्त कराने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा कार्यवाही हेतु यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ, अप्रार्थीगण द्वारा वाद दौरान कृषि भूमि मे अप्रार्थी द्वारा नाजायज तरीके से बिना किसी वैध प्राधिकार के एवं संपरिवर्तन करवाये गैर कृषि कार्य हेतु क्रेशर मशीन एवं डामर प्लांट निर्माण कर औद्योगिक एवं व्यवसायिक कार्यो हेतु उपयोग में लेकर कृषि भूमि का दुरूपयोग कर क्षति कारित किा जा रहा है, प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है यदि दौरान मूल प्रकरण की सुनवाई के अप्रार्थी द्वारा वादाधिन कृषि भूमि में नया कच्चा पक्का निर्माण करता है अथवा अन्यत्र बेचान हस्तानान्तरण भारग्रस्त एवं किस्म परिवर्तन कर क्षति कारित करता है तो इससे प्रार्थी को असुविधा एवं अपूर्तनीय क्षति होगी जिससे होने वाली क्षति की पूर्ति रूपयों में किा जाना असम्भव हे, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि दौराने वाद ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1074 रकबा 1.31 हैक्टर बारानी द्वितीय कृषि भूमि की सुरक्षा संरक्षण हेतु रिसिवर नियुक्त किया जाकर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं मूल प्रकरण की सुनवाई तक अप्रार्थी विवादित आराजी को अन्यत्र बेचान हस्तानान्तरण भारग्रस्त नही करे एवं उक्त आराजी मे किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, जिसने कथन किया है कि अप्रार्थीगण के पिता/पति स्व. मांगीलाल ने दिनॉक 10.10.2006 को अतिरिक्त तहसीलदार कुचामनसिटी से ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 1074 रकबा 1.31 हैक्टर में से 2500 वर्ग मीटर भूमि पर लघु उद्योग स्टोन क्रेशर उद्योग लगाने हेतु नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर उद्योग स्थापित किया था जिसमें राज्य सरकार के परिपत्र प. 6 (5) राज. 2001–02 दिनॉक 21.05.2001 की अधिसूचना के अनुसार परिपत्र प. 6/2001–02 दिनॉक 01.06.2001 एवं प. 6(5) राज.6/2001–2002 दिनॉक 28.05.2002 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2500 वर्ग मीटर कृषि भूमि में यदि कोई खातेदार लघु उद्योग स्थापित करता है तो भूमि [illegible] नही रहती है, अप्रार्थीगण ने 8.1.2019 को ग्राम सरगोठ के खसरा [illegible] 1074 रकबा 1.31 हैक्टर सम्पूर्ण को औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण [illegible] मण्डल कुचामनसिटी में आवेदन कर रखा है जिसमें नगरपालिका कुचामनसिटी ने जरिये रसीद सं. 11 दिनॉक 08.01.2019 को प्रीमियम राशि के रूप में रूपये 141030/जमा करवा लिये तथा वर्तमान में पत्रावली विचाराधीन है इस प्रकार अप्रार्थीगण ने किसी भी प्रकार से कृषि भूमि की उर्वरक क्षमता को नुकसान नही पंहुचाया है, अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:16:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रूपान्तरित किये जाने हेतु नगरपालिका कुचामनसिटी में आवेदन प्रस्तुत कर रखा है इसलिये अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का कतई औचित्य नही है तथा न ही सिवाय चक राजकीय भूमि घोषित की जा सकती है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है न कि प्रार्थी के पक्ष में इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना– पत्र काबिल खारिज है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–77 ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 1074 रकबा 1.31 हैक्टर में मदनलाल पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. जायल खातेदार, रामकिशोर पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. जायल खातेदार, सायरीदेवी पत्नी मांगीलाल 1/3 जाति जाट सा. जायल खातेदार दर्ज है। राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वादग्रस्त भूमि सरगोठ के खसरा नम्बर 1074 में अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये बिना क्रेशर मशीन एवं डामर प्लांट निर्माण कर औद्योगिक एवं व्यवसायिक कार्यो हेतु उपयोग में लेकर कृषि भूमि को दुरूपयोग कर कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यो के लिए उपयोग में ले रहा है इस वजह से कृषि भूमि की उर्वरकता नष्ट हो रही है, इसके प्रतिउत्तर में अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि उक्त भूमि को उपरोक्त भूमि में अप्रार्थीगण के पिता/पति स्व. मांगीलाल जी ने दिनॉक 10.10.2006 को अतिरिक्त तहसीलदार कुचामनसिटी से लघु उद्योग लगाने हेतु 2500 वर्ग मीटर की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी तथा वर्तमान में 08.01.2019 को नगरपालिका में औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा है। राजस्व रेकार्ड में आज दिन कृषि भूमि ही दर्ज चली आ रही है, केवल मात्र नगरपालिका में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से भूमि को रूपान्तरित नही माना जा सकता है, अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है अतः अप्रार्थीगण के तर्को से न्यायालय सहमत नही है। वर्तमान जमाबन्दी [illegible] के नाम नवीन खसरा नम्बर 1577/1024 रकबा 1.2183 हैक्टर दर्ज [illegible] खातेदारी दर्ज चली आ रही है। अतः उपरोक्त प्रकरण में नगर[illegible] पत्रावली में भी कोई कार्यवाही लम्बित होना नही माना जा सकता, अप्रार्थीगण द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र दौरान उक्त भूमि में से कुछ हिस्सा सम्र्पण किया है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा नगरपालिका कुचामनसिटी में प्रार्थना–पत्र सरगोठ के खसरा नम्बर 1074 का प्रस्तुत किया हुआ है। अप्रार्थी के पिता/पति स्व. मांगीलाल के नाम अतिरिक्त तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:16:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कुचामनसिटी द्वारा 2500 वर्ग मीटर की स्वीकृति जारी की गई थी जो उसकी मृत्यु पश्चात स्वतः ही निरस्त हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि से साबित होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि का भिन्न उपयोग किया जा रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित नियमो का स्पष्ट उल्लघंन है, इस प्रकार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रकरण में अप्रार्थीगण को ता–फैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 1074 (नवीन ख.नं. 1577/1074) में बेचान हस्तानान्तरण भारग्रस्त इत्यादि नही करे, मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं उक्त आराजी में किसी प्राकर का कच्चा पक्का निर्माण नही करे। पटवारी हल्का सरगोठ/तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं उपं पंजीयक कुचामनसिटी किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन स्वीकार नही करे।

आदेश आज दिनॉक 10/02/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:16:49 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.02.27 13:10:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: